

रिपोर्ट पटवारी हलका/आंडोल0आरो

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई। जिसके अनुसार
 निम्नलिखित धरती का नाम मूलचन्द पुत्र हनुमान
 लम्बा का. 195 के नाम मूलचन्द पुत्र हनुमान उर्फ हनुमान दत्त है परन्तु अर्धी का नाम उल्लाराम पुत्र
 पुत्र, भोचाल राई के रणन राई के इनका नाम मूलाराम पुत्र हनुमानराग दत्त है कम अर्धी का नाम
 मूलचन्द पुत्र हनुमान के कनाम मूलाराम पुत्र हनुमानराग मूळ किमा काका उल्लिखित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी माहोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/संशय नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिर्णय की जाती है / नहीं
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

14/12/2020
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/मुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 14-12-2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जाधपुर	2075-78	196, 150 150 195	मूलचन्द पुत्र हनुमान मूलचन्द पुत्र हनुमान उर्फ हनुमान	मूलाराम पुत्र हनुमानराग मूलाराम पुत्र हनुमानराग

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14-12-2020

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2181

- निलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारसे पालनाथ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी